न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– जगमोहन कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 350 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2008 / 00063

वादी	प्रतिवादीगण
राहुल पुत्र जोगा, कौम–बिश्नोई,	1 जयराम पुत्र नारणा, जाति–बिश्नोई
निवासी–डडुसन, तहसील–सांचौर	निवासी–डडुसन, तहसील–सांचौर
जिला–जालोर, राजस्थान	2 अर्जुन पुत्र काना
	3 वरिंगा पुत्र काना का वारिश
	चुखी पत्नी वरिंगा
	4 डूंगरा पुत्र रूपा
	5 नवा पुत्र रूपा
	जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–
	काछेला, तहसील–सांचौर
	6 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
	तहसीलदार सांचौर
	7 गोरधन पुत्र मेहरी (फौत) के वारिश्
	सुरती देवी पत्नी गोरधनराम
	जाति–बिश्नोई, निवासी–डडूसन

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 16.02.2008

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा ईकबालिया जवाब प्रस्तुत।
5. प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा डडुसन, पटवार क्षैत्र बावरला में मुझ वादी के बाप दादाओं की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 1.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.87 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.70 हैक्टेयर की आई हुई है जिसमें मुझ वादी का 1/3

सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

हिस्सा आया हुआ है। उक्त भूमि पर मैं वादीया बाबूदेवी राहुल की तरफ से खेतीबाड़ी करती हूं। उनकी तरफ से मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार सरहद मौजा काछेला पटवार हल्का काछेला में वादी के बाप दादाओं की पुश्तैनी आराजी खसरा संख्यसा 417 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 418 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 1.97 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.00 हैक्टेयर में मुझ वादी के दादा गोरधन का 1/3 हिस्सा हिस्से में वादी का 1/3 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में 1/9 हिस्सा आया हुआ है। इसी माफिक वादीया राहुल की तरफ से प्राकृतिक माता की हैसियत से खेतीबाड़ी करती हूं तथा मुझ वादी का कब्जा काश्त बदस्तूर है। इसी हिस्से माफिक मुझ वादी के नाम गिरदावरी दोनों खेतों की होती आ रही है तथा लगान भी माफिक हिस्से में अदा करती आ रही हूं। वादी राहुल का दादा गोरधन काफी जईफ वृद्व अवस्था के व्यक्ति है जिन्हें प्रतिवादी संख्या 02 बहला–फुसला बरगला कर अपना नाजायज फायदा उठाने की हैसियत से उपरोक्त दोनों गांवों की आराजी विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम बैचाननामा करवा लिया जो विधि विरूद्व व गैर कानूनी है। मौजा डडूसण की भूमि रकबा 2.70 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा मुझ वादी का था व है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जयराम के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 7 गोरधन ने जरिये बैचान दस्तावेज पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 192 में पृष्ठ संख्या 49 के क्रम संख्या 2006001485 पर अवैधानिक तरीके से उप पंजियक कार्यालय सांचौर में पंजिबद्व करवाया। ऐसा दस्तावेज अवैध व गैर कानूनी है जो विधि के सिद्वान्तों के विरूद्व है। गोरधन को रकबा 2.70 हैक्टेयर भूमि संपूर्ण बैचान करने का हक नहीं था उसके बावजूद भी गोरधन ने अपने हक से ज्यादा भूमि का बेचान किया जो विधि विरूद्व व अवैधानिक है। ऐसे अवैधानिक दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या 1 जयराम को किसी प्रकार के हक हकूक हासिल नहीं हो सकते है। मौजा काछेला के खेत खसरा नंबर 417, 418, 419 जुमले रकबा 6.00 हैक्टेर में 1/3 हिस्से में 1/3 हिस्सा मुझ वादी का था व है उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 7 गोरधन ने अपने हक से अधिक भूमि का बैचाननामा जरिये पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 192 में पृष्ठ संख्या 48 के क्रम संख्या 2006001484 पर उप पंजियक कार्यालय सांचौर में अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से तकमील करवाया जो विधि के विरूद्व व गैर कानूनी है। ऐसे विधि विरूद्व व गैर कानूनी दस्तावेजों की कानून में कोई अहमीयत नहीं है ऐसे दोनों दस्तावेज वादी के विरूद्व अवैधानिक व गैर कानूनी होने से बेअसर घोषित करने योग्य है। मौजा डडुसन पटवार क्षैत्र बावरला में वादी की पुश्तैनी आराजी के खसरा संख्या 61, 62, 84 रकबा 2.70 हैक्टेयर में वादी का कब्जा काश्त होने व उक्त भूमि में वादी का जन्मसिद्व अधिकार होने से 1/3 हिस्से की खातेदारी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें तथा इसी अनुरूप मौजा काछेला के खेत खसरा नंबर 417, 418, 419 रकबा 6.00 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्से में 1/3 हिस्सा में यानि संपूर्ण भूमि में 1/9 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त होने व उक्त भूमि में वादी का जन्मसिद्व अधिकार होने से खातेदारी की डिक्री बहक वादी जरिये बाबूदेवी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

वाद पेश करने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी राहुल अभी नाबालिग है तथा उसका पिता जोगा फौत हो चुके है एवं राहुल अपने माता के साथ परवरिश पाता है किन्तु राहुल अथवा बाबुदेवी को यह वाद लाने का विधिसम्मत कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विवादित मुतदाविया खातेदारी की भूमि प्रतिवादी संख्या 7 गोरधन पुत्र मेहरी, जाति विश्नोई निवासी डडुसन के नाम प्रथम पैमाईश 2009 में दर्ज है तथा इससे पूर्व वक्त जागीर में भी मुतदाविया आराजी प्रतिवादी गोरधन के ही कब्जा काश्त की थी क्योंकि गोरधन के पिता मेहरी जागीर समय में ही प्रतिवादी गोरधन की तीन वर्ष की उम्र थी, तभी गुजर चुके थे तथा अभी गोरधन की उम्र 81 वर्ष की है। इस प्रकार विवादित मुतदाविया आराजी किसी प्रकार पैतृक संपति नहीं है। विवादित आराजी प्रतिवादी गोरधन की स्वअर्जित संपदा है। जिस पर वादी अथवा वादी की ओर से उसकी माता बाबुदेवी को पैतृक संपति के रूप में वाद लाने का विधि सम्मत अधिकार नहीं है। ऐसी सूरत में वाद प्रथम दृष्टि में ही काबिल खारिज है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से बाबूदेवी को संरक्षक की हैसियत राहूल की तरफ से वाद लाने का विधिसम्मत अधिकार नहीं है क्योंकि उसने उसके पिता जोगाराम की मृत्यु के पश्चात अपने देवर सुखराम के साथ दुसरा विवाह देवर वटा कर लिया है तथा राहुल वादी का जन्म भी बम्बई में ही हुआ है तथा राहुल का राशन कार्ड में नाम भी बम्बई में है। राहुल व बाबूदेवी कई वर्षो से बम्बई में ही जहां उनका मकान लिया हुआ है वहीं निवास करते है। डडूसन में इनका कोई विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। वादी राहुल के पिता गोरधन के पास विवादित आराजी से अधिक कीमती एवं ज्यादा भूमि उसके पिता के नाम खातेदारी की है तथा इसी कारण से जोगाराम 20 साल पूर्व अपनी अपनी पत्नी के साथ बम्बई चला गया था तथा वहीं अपना कारोबार करता रहा, किन्तु अभी जोगाराम के करीब 6 साल हुए गुजरने के पश्चात बाबूदेवी की नियत खराब हो गई क्योंकि बाबूदेवी ने दुसरा विवाह देवर वटा सुखराम के साथ किया है। जिसने बाबूदेवी व राहुल को गुमराह कर यह वाद गोरधन एवं जयराम के विरूद्व पेश करवाया है अन्यथा जोगाराम ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से काछेला व डडूसन की भूमि जो गोरधन की स्वअर्जित संपति है, में से अपना हकतर्क कर सांवा वाली भूमि ले ली थी जो अभी भी जोगाराम के नाम ही बोलती है। ऐसी सूरत में यह वाद काबिल निरस्त है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

प्रतिवादी अर्जुन, चुखी, डूंगरा, नवा ने ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के हक में डिक्री पारित की जाती है तो हम प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त वाद में जवाबदावा के आधार पर उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

1. आया वादी की मौजा डडूसन पटवार हल्का बावरला में पुश्तैनी आराजी खसरा संख्या 6, 62, 84 जुमले रकबा 2.70 में 1/3 हिस्सा में वादी का जन्मसिद्ध अधिकार होने एवं इसी अनुसार मौजा काछेला पटवार क्षैत्र काछेला में भी वादी राहुल का पुश्तैनी खेत खसरा नंबर 417, 418, 419 जुमले रकबा 6.00 हैक्टेयर भूमि में 1/9 हिस्सा वादी का जन्मसिद्ध अधिकार होने से उपरोक्त हिस्से अनुसार वादी का नोशनल शेयर हिस्सा कानूनी बनने से एवं इसी अनुसार मौके पर पुश्तैनी कब्जा काश्त होने से उक्त हिस्सों की वादी खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
2. आया वादी की पुश्तैनी संपति में प्रतिवादी गोरधन द्वारा अपने हक से ज्यादा दोनों गांवो की आराजी दिनांक 24.06.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान करने से ऐसे बैचान अवैध व गैर कानूनी तकमील कराने से ऐसे बैचान वादी के विरूद्व अवैध व बेअसर घोषित किया जाने योग्य है। (जिम्मे वादी)
3. आया वादी के दोनों गांवो की पुश्तैनी हकहकूक व कब्जा काश्त जन्मसिद्व अधिकार की भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखल पैदा करें व न किसी से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
4. आया वादग्रस्त आराजी गोरधन की स्वअर्जित सपंति थी जिसको बैचान करने का गोरधन को पूर्ण अधिकार था।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 7)
5. आया बाबूदेवी ने अपने पति के फौत हो जाने पर अन्य व्यक्ति से देवर वटा (नाता) कर लिया है। इस कारण बाबूदेवी राहुल की कुदरती वलीया नहीं है। अतः बाबूदेवी को वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः वाद काबिल खारिज है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 7)
6. आया प्रतिवादीगण ने पंजिकृत बैचान दस्तावेज के आधार पर खेत खरीदे है जो एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसको निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 7)
7. आया गोरधन की स्वअर्जित संपति में वादीगण को कोई हक गोरधन के जीवनकाल में नहीं मिल सकता। गोरधन की अर्जित भूमि को गोरधन को बैचान का पूर्ण अधिकार है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 7)

प्रकरण में वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 बाबुदेवी, पीडब्ल्यू 2 नवाराम, पीडब्ल्यू 3 बाबुलाल के ब्यान लेखबद्व किये गये तथा वादी की ओर से ईएक्सपी 1 जमाबंदी संवत् 2063–2066, ईएक्सपी 2 नवीन ट्रैश नक्शा, ईएक्सपी 3 जमाबंदी संवत् 2059–2062, ईएक्सपी 4 जमाबंदी संवत् 2063–2066, ईएक्सपी 5 मिलान क्षैत्रफल, ईएक्सपीं 6 मिसल बंदोबस्त संवत् 2012–2031, ईएक्सपी 7 व 8 बैचान दस्तावेज, ईएक्सपी 9 मिसल

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

बंदोबस्त संवत् 2012–2031, ईएक्सपी 10 मिलान क्षैत्रफल, ईएक्सपी 11 आधार वर्ष जमाबंदी 01.09.1993 से 31.08.2013 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीडब्ल्यू 1 जयराम, डीडब्ल्यू 2 जयकिशन के ब्यान लेखबद्ध किये गये तथा प्रतिवादी की ओर से ईएक्सडी 1 गिरदावर बंदोबस्त संवत् 2012–2031, ईएक्सडी 2 मिलान क्षैत्रफल, ईएक्सडी 3 गिरदावर बंदोबस्त संवत् 2012–2031, ईएक्सडी 4 जमाबंदी संवत् 2051–2054, ईएक्सडी 5 जमाबंदी संवत् 2059–2062, ईएक्सडी 6 जमाबंदी संवत् 2063–2066, ईएक्सडी 7 नवीन ट्रैश नक्शा, ईएक्सडी 8 जमाबंदी संवत् 2071–2074, ईएक्सडी 9 नवीन ट्रैश नक्शा, ईएक्सडी 10 जमाबंदी संवत् 2071–2074 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डडुसन की वादग्रस्त आराजी में वादी राहुल का 1/3 हिस्सा आया हुआ है तथा ग्राम काछेला की वादग्रस्त आराजी में वादी राहुल का 1/9 हिस्सा आया हुआ है। वादी राहुल नाबालिग होने से उनकी ओर से प्राकृतिक माता वादीया बाबुदेवी खेतीबाड़ी करती है। वंशावली अनुसार राहुल का दादा गोरधन है तथा प्रतिवादी जयराम का दादा भी गोरधन है। गोरधन की संपति में वादी राहुल व प्रतिवादी जयराम बराबर हिस्से के हकदार है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों आराजी में प्रतिवादी गोरधन ने अपने हिस्से से ज्यादा यानि संपूर्ण आराजी का बैचान दस्तावेज प्रतिवादी जयराम के नाम करवा दिया जो ऐसे बैचान दस्तावेज वादी के लिये शुरू से ही अवैध व शून्य प्रभावी होने से वादी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी डडुसन में 1/3 हिस्सा व ग्राम काछेला में 1/9 हिस्से की खातेदारी की डिक्री पाने का हकदार होने व वादी के उपरोक्त हिस्से पर कब्जा काश्त होने से वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो दखलंदाजी स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावें बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार होने से वादी द्वारा पेश वाद में वादी के पक्ष में खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों को घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी गोरधन की स्वअर्जित संपति थी जिसको बैचान करने का गोरधन को पूर्ण अधिकार था। वादीया बाबूदेवी ने अपने पति के फौत होने पर अन्य व्यक्ति से देवर वटा कर लिया है। इस कारण बाबूदेवी राहुल की कुदरती वलीया नहीं है। इस कारण वादीया बाबूदेवी को वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी जयराम ने पंजिबद्व बैचान दस्तावेज के आधार पर खेत खरीदे है जो एक पंजिबद्व दस्तावेज होने से उक्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से उपरोक्तानुसार वादी का वाद खारिज फरमावें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का व साक्ष्यों का गहनता से भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा तनकीयात वार निर्णय निम्न प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> उक्त तनकी सिद्ध करने का जिम्मा वादी पर है। वादी ने अपने वादपत्र में बताया है कि मौजा डडूसन के खेत खसरा संख्या 61, 62, 84 जुमले रकबा 2.70 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा व मौजा काछेला के खेत खसरा संख्या 417, 418, 419 जुमले रकबा 6.00 हैक्टेयर में 1/9 हिस्सा वादी का जन्मसिद्व अधिकार या पुश्तैनी होने से खातेदारी की मांग की है जिसके संबंध में वादी ने ईएक्सपी 6 पुरानी मिसल बंदोवस्त संवत् 2012–2031 के खेत खसरा संख्या 37, 40, 53, 38 जुमले रकबा 42 बीघा 7 बिस्वा की पेश की जो कानिया व गोरधनियां पिसरान मिश्री कौम बिश्नोई के नाम से दर्ज है। ईएक्स पी 5 मिलान क्षैत्र अनुसार पुराने खसरा संख्या 37, 38, 53 से नवीन खसरा संख्या 61, 62, 84 नवसृजित हुए है। इसी प्रकार ईएक्सपी 9 पुरानी मिलस बंदोबस्त संवत् 2012–2031 के खेत खसरा संख्या 236 रकबा 37 बीघा 1 बिस्वा की पेश की जो रूपा, काना व गोरधन पिसरान मेहरी कौम बिश्नोई के नाम दर्ज है। ईएक्सपी 10 मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराना खसरा संख्या 236 से नवीन खसरा संख्या 417, 418, 419 नवसृजित हुए है। ईएक्सपी 7 बैचान दस्तावेज अनुसार मौजा काछेला के खेत खसरा संख्या 417 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 418 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 1.97 हैक्टेयर, जुमले रकबा 6.00 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी गोरधन ने जयराम को प्रतिफल राशि 40,000/– में बैचान करना बताया है तथा ईएक्सपी 3 जमाबंदी संवत् 2059–2062 में इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 110 के जरिये बैचान गोरधन की 1/3 की जगह जयराम पुत्र नारणाराम 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। इसी प्रकार वादी द्वारा ग्राम डडुसन की बैचान दस्तावेज की फोटोप्रति पेश की जिसके अनुसार ग्राम डडुसन के खेत खसरा संख्या 61 रकबा 1.75 हैक्टैयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 84 रकबा 0.87 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.70 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी गोरधन ने जयराम को प्रतिफल राशि एक लाख में बैचान करना बताया है तथा ईएक्सपी 4 जमाबंदी संवत् 2063–2066 में इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 144 के जरिये जयराम पुत्र नारणाराम का नाम इन्द्राज हुआ। इसी प्रकार पीडब्ल्यू 1 वादीया बाबूदेवी ने जिरह में भी यह बात स्वीकार की है संवत् 2009 से यह भूमि गोरधनजी के नाम से आ रही है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजी गोरधन पुत्र मेहरी जाति बिश्नोई की स्वअर्जित संपति होना साबित है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी गोरधन ने विधिवत् प्रतिवादी संख्या 1 जयराम पुत्र नारणाराम जाति बिश्नोई को प्रतिफल राशि लेकर बैचान की गई होना साबित है। वादी ने उक्त प्रकरण में ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी गोरधन के पिता मेहरी की हो तथा न ही वादी ने ऐसा दस्तावेज पेश किया हो कि वादी के पिता जोगाराम हो तथा जोगाराम के पिता गोरधन हो। ऐसी सूरत में उक्त आराजी शुरू से ही

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

वादी की पुश्तैनी संपति होने बाबत् तथ्यों को साबित करने में वादी पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है, परन्तु वादी द्वारा तनकी संख्या 1 अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी संपति होने बाबत तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी गोरधन की स्वअर्जित संपति होना साबित होने से वादी दिनांक 24.06.2006 के बैचान दस्तावेज को अवैध व बेअसर घोषित नहीं करवा सकता है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है परन्तु वादी द्वारा पेश ईएक्सपी 7 बैचान दस्तावेज मौजा काछेला व ग्राम डडुसन की बैचान दस्तावेज की फोटोप्रति में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रतिवादी गोरधन ने प्रतिवादी जयराम से प्रतिफल की राशि लेकर खरीददार का कब्जा करवा दिया है तथा उक्त दोनों बैचान दस्तावेज उपपंजियक अधिकारी से समक्ष पंजियन हुआ है तथा उक्त दोनों बैचान दस्तावेज के आधार पर ईएक्सपी 3 व ईएक्सपी 4 जमाबंदी में इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 110 व 144 के अनुसार प्रतिवादी जयराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा न होकर प्रतिवादी जयराम का है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा हो बाबत् वादी ने उक्त प्रकरण में कब्जा बाबत् एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी सूरत में उक्त तनकी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है जिसके संबंध में प्रतिवादी ने ईएक्सडी 1 मिसल बंदोबस्त संवत् 2012–2031 ग्राम डडुसन की व ईएक्सडी 3 मिसल बंदोबस्त संवत् 2012–2031 ग्राम काछेला की ईएक्सडी 2 मिलान क्षैत्रफल ग्राम डडुसन की पेश की व इसी प्रकार वादी ने ईएक्सपी 6, ईएक्सपी 9 मिसल बंदोबस्त संवत् 2012–2031 की व ईएक्सपी 5 व ईएक्सपी 10 मिलान क्षैत्रफल पेश किया तथा ईएक्सपी 7 बैचान दस्तावेज ग्राम काछेला व ग्राम डडुसन के बैचान दस्तावेज की फोटोप्रतियां पेश की है। उक्त वादी एवं प्रतिवादी के दस्तावेजों एवं तनकी संख्या 1 अनुसार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी संपति न होकर प्रतिवादी गोरधन की स्वअर्जित संपति है तथा प्रतिवादी गोरधन की स्वअर्जित संपति होने से प्रतिवादी गोरधन को बैचान करने का पूर्ण अधिकार होने से तनकी संख्या 04 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 5 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त प्रकरण में ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादीया बाबूदेवी ने अपने पति के फौत हो जाने पर अन्य व्यक्ति से देवर वटा कर लिया है। इस कारण बाबूदेवी राहुल की कुदरती वलीया माता नहीं हो व बाबूदेवी को वाद

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

लाने का अधिकार न हो। ऐसी सूरत में दस्तावेज के अभाव में तनकी संख्या 05 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 :– उक्त तनकी सिद्ध का करने का भार प्रतिवादी पर है चुंकि तनकी संख्या 1 अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी अपना पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार होने बाबत् तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तथा वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 जयराम ने प्रतिवादी गोरधन से मौल खरीद कर बैचान दस्तावेज को पंजियन करवाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी संपति नहीं होने से किसी भी पंजियन दस्तावेज को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होने से तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 07 :– उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 4 में किया जा चुका है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व व तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाने से तनकी संख्या 7 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

फलतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से वादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद खारिज योग्य है।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री मर्त्तब जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करनें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे बेबादाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या :– 350 / 2014
सी.सी.एम.एस. नंबर :– 2008 / 00063

वादी
राहुल पुत्र जोगा, कौम–बिश्नोई,
निवासी–डडुसन, तहसील–सांचौर
जिला–जालोर, राजस्थान

प्रतिवादीगण
1 जयराम पुत्र नारणा, जाति–बिश्नोई
निवासी–डडुसन, तहसील–सांचौर
2 अर्जुन पुत्र काना
3 वरिंगा पुत्र काना का वारिश
चुखी पत्नी वरिंगा
4 डूंगरा पुत्र रूपा
5 नवा पुत्र रूपा
जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–
काछेला, तहसील–सांचौर
6 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर
7 गोरधन पुत्र मेहरी (फौत) के वारिश्
सुरती देवी पत्नी गोरधनराम
जाति–बिश्नोई, निवासी–डडूसन

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 16.02.2008

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करनें।
मौजा–डडुसन व काछेला मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।
आज मेरे हस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **10.09.2025** को जारी की गई

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, (फास्ट–ट्रेक)
सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रटैक) सांचौर

फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
जिला जालोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालात नामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	02	00	मौजाना	02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रटैक) सांचौर

फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
जिला जालोर

Scanned with CamScanner